

०८८८ द्वापरार्षी आदेशा १६ १०-१-०६

न्यायालय असि० कलेक्टर (प्र०श्ने०) /उपजिलाधिकारी बिलहौर, कानपुर नगर

वाद सं० ४५

दि विद्याभवन एजूकेशन फाउंडेशन

बनाम

धारा 143 ज०वि०अधिनियम

गांव सभा

ग्राम गैतापुर कलां

तहसील बिलहौर

कानपुर नगर।

(176)

-निर्णय:-

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र श्री आलोक मिश्र, चेयरमैन मैनेजिंग इंस्टी, दि विद्याभवन एजूकेशन फाउंडेशन पंजीकृत कार्यालय जी०-१४ शान्तीनगर, कैन्ट कानपुर द्वारा धारा 143 ज०वि०अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि बाती की गादा सं० 104 रकवा 0.051 व 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 कुल 12 किता रकवा 2.109 हे० का पूर्ण भाग व 103 रकवा 0.727 व 121 रकवा 0.563 कुल दो किता रकवा 1.290 हे० के 5/6 भाग व 109 रकवा 0.195 व 113 रकवा 0.233 व 101 रकवा 0.164 व 99 रकवा 0.502 कुल चार किता रकवा व 114 रकवा 0.174 हे० के 1/18 भाग व गादा सं० 1.094 हे० का 1/6 भाग व गादा सं० 114 रकवा 0.174 हे० के 1/18 भाग व गादा सं० 469 व 109मि० रकवा 0.032 व 113मि० रकवा 0.039 व 101मि० रकवा 0.027, गादा सं० 99 रकवा 0.084 व खाता सं० 48की गादा सं० 114मि० रकवा 0.010 हे० तथा ग्रामांशं० 52 गादा सं० 51मि० रकवा 0.220 हे० व 52मि० रकवा 0.200 हे० कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० स्थित ग्राम गैतापुर कलां में मौके पर बागवानी, कृषि, कुकुट पालन आदि का कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन में लायी जाती है तथा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

संदर्भित प्रार्थनापत्र की जांच आख्या तहसीलदार बिलहौर से प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिलहौर ने अपनी आख्या दिनांक 10.01.2008 में उल्लेख किया गया है कि खाता सं० 50 की गादा सं० 104 रकवा 0.051 व 02क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 0.502 व खाता सं० 53 की गादा सं० 103मि० रकवा 0.606 व 121मि० रकवा 0. रकवा 0.502 व खाता सं० 53 की गादा सं० 103मि० रकवा 0.606 व 121मि० रकवा 0. 469 व 109मि० रकवा 0.032 व 113मि० रकवा 0.039 व 101मि० रकवा 0.027, गादा सं० 99 रकवा 0.084 व खाता सं० 48की गादा सं० 114मि० रकवा 0.010 हे० तथा ग्रामांशं० 52 गादा सं० 51मि० रकवा 0.220 हे० व 52मि० रकवा 0.200 हे० कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० स्थित ग्राम गैतापुर कलां में मौके पर बागवानी, कृषि, कुकुट पालन आदि का कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजन में लायी जाती है तथा धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिलहौर की जांच आख्या दिनांक 10.01.2008 से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जाता है भूमि अकृषिक है। अतः खाता सं० 50 की


गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व
 0.041 व 100 रकवा 0.061 व
 0.558 व 106 रकवा 0.323 व
 0.502 कुल 12 किता भू राज०
 रकवा 0.606 व 121मि रकवा 0.469 व
 101मि रकवा 0.027, गाटा सं० 99
 रकवा 0.084 कुल छः किता भू राज० 61.10 रु० व
 खाता सं० 48की गाटा सं० 114मि
 रकवा 0.010 हे० भू राज० 0.50 रु० तथा खाता सं०
 52 गाटा सं० 51मि रकवा 0.220
 कुल 21 किता क्षेत्रफल 3.796 हे० भू राज० 184.65 रु० स्थित ग्राम रौतापुर कलां
 अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम रौतापुर कलां की खाता सं० 50 की गाटा सं० 104 रकवा 0.051 व
 102क रकवा 0.062, 108क रकवा 0.051 व 87क रकवा 0.041 व 100 रकवा 0.061 व
 115 रकवा 0.020 व 126 रकवा 0.010 व 105क रकवा 0.558 व 106 रकवा 0.323 व
 107 रकवा 0.410 व 130 रकवा 0.020 व 122 रकवा 102.65 रु० व खाता सं० 53 की गाटा सं० 103मि
 रकवा 0.606 व 121मि रकवा 0.469 व 109मि रकवा 0.032 व 113मि रकवा 0.039 व
 101मि रकवा 0.027, गाटा सं० 99 रकवा 0.084 कुल छः किता भू राज० 61.10 रु० व
 खाता सं० 48की गाटा सं० 114मि रकवा 0.010 हे० भू राज० 0.50 रु० तथा खाता सं०
 52 गाटा सं० 51मि रकवा 0.220 हे० भू राज० 184.65 रु० स्थित ग्राम रौतापुर कलां
 अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत दि विद्याभवन
 एजूकेशन फाउंडेशन पंजीकृत कार्यालय
 मैनेजिंग इस्टी आलोक मिश्रा पुत्र स्व०
 कानपुर नगर की उक्त वादग्रस्त भूमि
 की एक प्रति उपनिबंधक बिल्हौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। परवाना
 अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली इसीसे दफ्तर हो।

दिनांक- 10.01.2008



उक्त निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घाषित किया गया।

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
(प्रह्लाद सिंह)
अस्तिकल०(प्र०श्र०)/उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।

प्रतिलिपि कर्ता
(प्रह्लाद सिंह)
अस्तिकल०(प्र०श्र०)/उपजिलाधिकारी
बिल्हौर, कानपुर नगर।